UPME010087422026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2420/2026

प्रदीप कुमार उर्फ विक्की पुत्र ओमप्रकाश,
निवासी–धरीराम गढवाली का किराये का मकान नंबर 26ए, गोल्डन पार्क, थाना महेश नगर जिला अम्बाला।

............प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य ....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–150/2026
अं0धारा–109(1),317(2),3(5)
बी0एन0एस0 व धारा–3/25/27(1)
आयुध अधिनियम
थाना–भावनपुर, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से............. श्री मौ0 आमिर अंसारी, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..................... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

दिनांक–19.06.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **प्रदीप कुमार उर्फ विक्की** की ओर से मुकदमा अपराध सं0–150/2026, अं0धारा–109(1),317(2),3(5) बी0एन0एस0 व धारा–3/25/27(1) आयुध अधिनियम, थाना–भावनपुर, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 08.05.2026 को समय 04.45 बजे संबंधित थाने की पुलिस द्वारा दौरान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन मुखबिर की सूचना पर परीक्षितगढ़ की ओर से एक मोटर साइकिल पर तीन व्यक्ति सवार आते दिखायी दिये, जिन्हें रूकने का इशारा किया गया, जो नहीं रूके और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायरिंग की गयी, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त के पैर में गोली लगी तथा अन्य सह–अभियुक्तगण को भी पकड़ लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से दो

अदद तमंचे .315 बोर मय 03 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, दो अदद खोखा कारतूस मय बोर, दो अदद मोबाइल, एक अदद मोटर साइकिल तथा एक लाख पैतालीस हजार रूपये नकद बरामद हुए।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। कथित घटना में किसी पुलिसकर्मी को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आयी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसके कब्जे से दर्शायी गयी बरामदगी फर्जी है। अभियुक्त सजायाफ्ता नहीं है तथा दिनांक 08.05. 2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सहअभियुक्त रोहित की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिषा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005)8 एस0सी0सी0–21** में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति–युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता, जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशित किया है।

8. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किये जाने का आक्षेप है।

9. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी पुलिसकर्मी को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आयी है।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से दर्शायी गयी बरामदगी के संबंध में एक अन्य

मु0अ0सं0–123/2026 संबंधित थाने पर पंजीकृत है, जिसमें उसकी जमानत सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

11. यद्यपि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण पुलिस मुठभेड़ से संबंधित है, जिसमें किसी पुलिसकर्मी को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आयी है। स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। प्रार्थी/अभियुक्त से दर्शायी गयी बरामदगी का कोई जनता का साक्षी नहीं है।

12. यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 123/2026 धारा 310 (2), 61 (2) बी.एन.एस. का आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है, परन्तु आपराधिक इतिहास मात्र जमानत प्रार्थनापत्र का निरस्त किये जाने का आधार नहीं है।

13. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रकरण में सहअभियुक्त रोहित यादव की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध भी सहअभियुक्त के समान प्रकृति का है।

14. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृश्टिगत रखते हुए गुण–दोश पर बिना कोई मत प्रकट किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त **प्रदीप कुमार उर्फ विक्की** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रूपये 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुश्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित षर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायः–

1. अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
2. विवेचक द्वारा तलब किए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्त साक्षियों को डराएगा–धमकाएगा नहीं और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा।
4. विवेचक की अनुमति के बिना दौरान विवेचना जिले से बाहर नहीं जायेगा।
5. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस तरह का कोई अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
6. इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 19.06.2026

(राकेश कुमार–पंचम)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6155

<u>Pankaj Kumar (P.A.)</u>